निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारड़ी

प्र.सं 54/2016 रे.वाद

निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. श्रीमति सायरी पुत्री कजोड़ गुर्जर नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्रीमति कमला पुत्री कजोड़ गुर्जर नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्रीमति मांगी पुत्री कजोड़ गुर्जर नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रायमल पिता नाथु गुर्जर नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री गायड़ पिता ईश्वरसिंह राजपुत नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ प्रतिनिधि राज्य सरकार।

.....प्रतिवादीगण

रे.वाद अर्न्तगत धारा 88–188 राज. ले. रे. एक्ट

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम पारडी प.ह. पारड़ी तह. देवगढ़ में स्थित हैं जिसके आराजी नं. 439 रकबा 1.11, आराजी नं. 129 रकबा 8.03, आराजी नं. 130 रकबा 1.12, आराजी नं. 131 रकबा 5.12 व आराजी नं. 443 रकबा 2.10 कुल किता 5 रकबा 19.08 बीघा भूमि हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजियात प्रतिवादी सं.2 के नाम पर खातेदारी में दर्ज हैं यह अंकन गलत हैं। उपरोक्त आराजियात जमाबंदी सं. 2031 से 2034 में 1/2 हिस्सा कजोड़ पिता नाथु के नाम दर्ज है और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज थी और वादीगण के पिता कजोड़ की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा विरासत नामान्तरण सं. 200 दिनांक 1.9.1978 खोला गया जिसमें प्रतिवादी सं.1 के नाम पर अंकित हो गई। यह कृषि आराजियात वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता नाथूजी की मौरूसी बपदादाओ की थी जिनकी मृत्यु पश्चात विरासत से जो न.क. खोला गया उसमें भूमिया अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित कर दी गई जबकी प.ह. को उक्त भूमि का नामान्तरण कजोड़जी की जाईन्दा संतान वादीगण के नाम खोलना था परन्तु ग्रा.पं. ने इस संबंध में भारी विधिक भूलकर वादीगण के हितों पर कुठाराघात किया हैं। वक्त ना.क. प्रतिवदी सं. 1 ही परिवार में बड़ा था और वही सारे परिवार के कार्य करता था जिसने भूमियों का ना.क. अपने नाम करवा दिया लेकिन मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 दोनों अपने हिस्सेनुसार भूमि का उपयोग उपभोग संयुक्त रूप से करते आ रहे हैं। जो ना.क. कजोड़ की मृत्यु के पश्चात विरासत से खोला गया हैं वह उनके वारिसान वादीगण के नाम पर नहीं खोला जाने से प्रारम्भतः ही शुन्य हैं। उक्त वर्णीत आ.नं. 439 में 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण को घोषित किया जाना आवश्यक हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता कजोड़ की मृत्यु के पश्चात अकेले रायमल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई जबकि इस जमीन में 1/2 हिस्सा कजोड़ के वारिसान का हैं जिसकी जानकारी प्रतिवादी सं. 1 को रायमल को थी परन्तु उक्त वर्णित आराजियात 439 रकबा 1.11 बीघा भूमि को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया। जिसे

सहायक कलेक्टर

विक्रय करने का रायमल को कोई अधिकार नही था रायमल द्वारा जो विक्रय पत्र लिखा गया वह वादीगण के हक व अधिकारो के आगे प्रारम्भतः शुन्य व प्रभावहीन है। वादीगण के वाद पत्र के कॉलम नं0 01 के भाग में वर्णित आराजियात को अपील नामान्तकरण के पेश कर अपना नाम 1/2 हिस्सा में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया। उस समय जो नकल प्राप्त की उसमें उक्त आराजी 439 दर्ज नही होने से वादीगण का नाम दर्ज नही हो सका। प्रतिवादी सं0 01 के द्वारा वाद पत्र में वर्णित भाग ब की आराजियात 129, 130, 131, 443 को दान पत्र द्वारा दान दे देने से वादीगण ने तहसील से पता किया और नकले प्राप्त की तो पता चला की आराजी नं0 439 जो वादीगण के पिता के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज थी। प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं0 02 को विक्रय कर दिया। जो विक्रय पत्र किया गया विधि व न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है। वाद पत्र में वर्णित आराजी नं0 439 रकबा 1.11 बिघा में वादीगण का 1/2 हिस्से का हक अधिकार है। का खातेदार घोषित किया जावे घोषणा के परिणाम स्वरूप वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित कराया जावें तथा कजोड के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सं0 02 का नाम विलोपित करवाया जावे तथा उक्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा का विभाजन करा राजस्व रेकार्ड मे पृथक दर्ज करवायी जावे जब वादी ने वादग्रस्त आराजी सं0 439 की खाता नकल प्राप्त की तो पता चला की उसकी मौरूसी बाप दादाओ की कृषि आराजियात में उसका नाम खातदेारी की हैसियत से अंकित नही है एवं प्रतिवादी सं0 01 द्वारा बिना विधिवत्त विभाजन कराये उक्त भूमि का दानपत्र लिख पत्र देने उत्पन्न हुआ है। अतः इसी आशय घोषणा करायी जावे की ग्राम पारडी की आराजी नं0 439 रकबा 1.11 बीघा भूमि में वादीगण को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे प्रतिवादी सं0 02 पर हो सके कजोड की हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सं0 02 पर हो रखे अधिक हिस्से का अंकन विलोपित कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सं0 02 ने जवाब पेश किया जवाब में निवेदन किया की पूर्व में खातदेार रायमल पिता नाथू के होने से तथा कब्जा नाथू का होने से मेरे द्वारा आराजी नं0 439 दिनांक 30.01.1991 को क्रय की गयी तब से उक्त भूमि पर मेरा कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी का वाद खारीज फरमाया जावें। प्रतिवादी सं0 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। प्रतिवादी सं0 03 ने कोई जवाब पेश नही किया जिस पर उनका जवाब बन्द किया गया। उसके बाद पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पारड़ी में नियत कर पुनः पक्षकारन को सूचना पत्र जारी किये गये। नियत दिनांक को पक्षकारान उपस्थित हुये जिन्होनें आपसी राजीनामा पेश कर राजीनामें अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश समदानी ने व प्रतिवादीगण की पहचान श्री भोजाराम गुर्जर ने की। पक्षकारान का राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामें के आधार पर ग्राम पारडी प.ह. पारड़ी तह. देवगढ़ में स्थित आराजी नं. 439 रकबा 1.11 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण सं. 2 श्री गायड़सिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत नि. पारड़ी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार यथावथ रखकर राजस्व रेकार्ड में यथावथ अंकन रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी कि जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी में मझ में आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावें।

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़, जिला- राजसमन्द